फर्द अहकाम

ओमप्रकाश बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर ग्रामीण

केस संख्या 124/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दि
	11/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली आदेश के लिए नियत है। पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब एवं समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस को सुना गया। अतः वादीगणों/प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नामल से दर्ज हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
124 / 2023	27 / 07 / 2023	11 / 11 / 2024

1. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. आशा पत्नि महेश कुमार
3. कजोडमल पुत्र लक्ष्मीनारायण
4. किशोर पुत्र रामेश्वर
5. गोपाल पुत्र सोहनलाल
6. नैनूराम पुत्र सोहनलाल
7. प्रभूदयाल पुत्र रामेश्वर
8. प्रेम पत्नि गजानन्द
9. बंशीलाल पुत्र रामेश्वर
10. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
11. भौरी देवी पत्नि रामेश्वर
12. राधेश्याम पुत्र रामेश्वर
13. रामचन्द्र पुत्र रामेश्वर
14. लालाराम पुत्र रामेश्वर

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम चावण्ड का मण्ड, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

<u>उपस्थित अभिभावक</u>
श्री किशनलाल :– वकील वादीगण

<u>दावा बाबत नक्शा दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

–: निर्णय :–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 1.6200है0 वाके ग्राम चावण्ड का मण्ड, पटवार हल्का सायपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक जमवारामगढ, जिला जयपुर मे स्थित है। वादीगण उक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त का काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज रकबे के मुताबिक ही मौके पर 1.6200है0 भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीगण का स्वामित्व की भूमि की पूर्वी दिशा मे खसरा नम्बर 141 है। राजस्व कर्मचारियो एव राजस्व अधिकारीयों द्वारा ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमदारामगढ स्थित कृषि भूमियो का नक्शा ट्रेस तैयार किया गया उस समय राजस्व कर्मचारियों एव राजस्व अधिकारीयों ने वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1.6200है0 के मुताबिक व वादीगण के कब्जे काश्त को ध्यान में रखे बिना ही करीब 0.2301है0 कम का नक्शा ट्रेस बना दिया एव वादीगण की भूमि में खसरा नम्बर 141 को शामिल करते हुये उसे छोटा बना दिया जबकि कानूनन राजस्व कर्मचारियों व राजस्व अधिकारीयो को किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि का नक्शा ट्रेस उक्त खातेदार की खातेदारी की भूमि की जमाबन्दी मे दर्ज रकबे के मुताबिक ही तैयार करना होता है एव खातेदारी की भूमि से अधिक एव कम भूमि के रकबे का नक्शा ट्रेस कानूनन तैयार नही किया जा सकता है। वादीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी भूमि का गत खसरा नम्बर 114 था एवं वादीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि का साबिक नक्शा भी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रकबे के मुताबिक पूरा है लेकिन वर्तमान राजस्व नक्शा गत राजस्व नक्शे के मुकाबले 0.2301है0 छोटा बना दिया गया जो कि काबिले दुरूस्त योग्य है। राजस्व कर्मचारियों एवं राजस्व अधिकारीयों ने वादीगण की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि हाल राजस्व नक्शा 0.2301है0 का कम का बना दिया एव उसमें खसरा नम्बर 141 मे शामिल कर दिया है। इस प्रकार वादीगण की खातेदारी की भूमि का हाल नक्शा 0.2301है0 कम बनाकर उसमें खसरा नम्बर 141 शामिल कर दिया गया एवं कानूनन राजस्व कर्मचारियों एवं

अधिकारीयों को राजस्व नक्शें को कम ज्यादा करने का अधिकार नही था, ना ही गत राजस्व नक्शें के मुकाबले छोटा वडा करने का कोई वैधानिक हक व अधिकार हासिल है।वादीगण अपने स्वामित्व की सम्पूर्ण भूमि पर काविज है। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादीगण को उसके कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बरान की जमावन्दी में दर्ज रकवे 1.6200है0 के मुताविक काश्त करने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नही किया जा रहा है। लेकिन राजस्व नक्शा कम का वना होने के कारण वादीगण को दस्तावेजात मे काफी परेशानियॉं उत्पन्न हो रही है। अतः वादीगण के स्वामित्व एवं खातेदारी भूमि हाल 142 रकवा 1.6200है0 के मुताविक व वादीगण के कब्जे काश्त के मुताबिक दुरूस्त किये जाने एवं खसरा नम्बर 142 में जो खसरा नम्बर 141 शामिल कर दिया गया है उसे खसरा नम्बर 142 में शामिल करते हुये राजस्व नक्शें को दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलवी की जाकर रिपोर्ट ली गई। प्रतिवादी/पैरोकार सरकार ने अपने पत्रांक/एल0आर0/2024/2150 दिनांक 16.05.24 द्वारा जवाव/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी/पैरोकार सरकार ने जवाव मे निवेदन किया कि ग्राम चावण्ड का मण्ड के खसरा नम्बर 142 रकवा 1.6200है0 भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी है। खसरा नम्बर 142 के पूर्वी दिशा दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 141 जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि है। खसरा नम्बर 142 के एकीकरण व हाल नक्शों में अन्तर है। प्रकरण में ग्राम डालूको का वाढ व चावण्ड का मण्ड राजस्व नक्शा एक होने के कारण भू प्रबंध के दौरान एकीकरण व हाल नक्शा ग्राम डालूको का बाढ को लगभग 4.5 मी0 वेशी व चावण्ड का मण्ड को 4.5 मी0 कम कर दिया है। उक्त प्रकरण मे दो ग्रामो की सीमा अर्थात डालूको का बाढ का कम किया जाना है तथा चावण्ड का मण्ड को बढाया जाना है। अतः उक्त प्रकरण में वाद/प्रा0 पत्र स्वीकार योग्य है।

वकील वादीगण ने अपनी वहस में लिखित वहस कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 142 रकवा 1.6200है0 ग्राम चावण्ड का मण्ड पटवार हल्का सायपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित है। जिसके वादीगण रिकार्डेड काश्तकार है। वादीगण के द्वारा गत खसरा नम्बर 114 जिसके हाल खसरा नम्बर 142 रकवा 1.6200है0 पर काविज काश्त होकर उपयोग उपभोग किया जा रहा है। वादीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 142 का सेट्लमेंट के दौरान जव राजस्व अधिकारीयों ने ग्राम चावण्ड का मण्ड का नक्शा कायम किया तो खसरा नम्बर 142 रकवा 1.6200है0 विना मौका व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया ही नक्शा कायम कर खसरा नम्बर 142 के नक्शा का लगभग 0.2301है0 (4.5 मीटर कम) कम कर दिया और खसरा नम्बर 142 के की पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 141 स्थित है। उसका नक्शा लगभग 4.5 मीटर बढा कर कायम कर दिया जिससे वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 142 का हाल नक्शा पूर्व नक्शा के बजाय कम हो गया जिसको दुरूस्ती के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चावण्ड का मण्ड पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 114 जिसके हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1.6200है0 के नक्शा को दुरूस्त कर पूर्वी दिशा में स्थित खसरा नम्बर 141 के विधि विरूद्व बडाया गया नक्शें को कम करते हुये खसरा नम्बर 142 रकवा 1.6200है0 को कब्जाकाश्त व मुताबिक हाल जमावन्दी के रकबानुसार हाल नक्शा दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान किया जावें।

बहस वकील वादीगण एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध वादीगण के वाद पत्र व पैरोकार सरकार के जबाव का अवलोकन करने पर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम चावण्ड का मण्ड, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 114 हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1.6200है0 के नक्शें को जमाबन्दी में अंकित रकबे अनुसार साबिक नक्शे अनुसार रकवा बरारी करते हुए नक्शा दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ